

संख्या-15/2021/1103/अरसठ-4-2021-9(16)/2020

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ०प्र० प्रयागराज।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक: 22 दिसम्बर, 2021

विषय- उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2021 के आगामी आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम/समय-सारिणी निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-गोप०/टी०ई०टी०-21/10472-75/2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर, 2021, जिसके द्वारा उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2021 के आगामी आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम/समय-सारिणी निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2021 के आगामी आयोजन हेतु निम्नलिखित परीक्षा कार्यक्रम/समय-सारिणी पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2021 का आगामी आयोजन दिनांक 23.01.2022 को होगा तथा परीक्षाफल दिनांक 25.02.2022 को घोषित किया जायेगा-

क्र० सं०	कार्यक्रम का विवरण	कार्य सम्पन्न करने के लिए अवधि का निर्धारण
1.	जनपद स्तर पर पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों को जनपदीय समिति द्वारा पुनरावलोकन/परीक्षणोपरान्त सहमति प्रदान करने की तिथि	22.12.2021
2.	परीक्षा केन्द्रों की सूची एन०आई०सी० लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि	27.12.2021

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3.	एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्रक प्राप्त कराने की तिथि	10.01.2022
4.	प्रवेश पत्र Website पर load करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में load होने की सूचना की विज्ञप्ति	12.01.2022
5.	अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि	17.01.2022
6.	डबल lock में रखने हेतु प्रश्न पत्र एवं ओ0एम0आर0 शीट (उत्तर पुस्तिका) जनपद मुख्यालय पर भेजने की तिथि	20.01.2022
7.	यू0पी0टी0ई0टी02021 परीक्षा की तिथि	23.01.2022
		प्रथम पाली-प्राथमिक स्तर समय-10:00 से 12:30 बजे द्वितीय पाली-उच्च प्राथमिक स्तर समय-2:30 से 05:00 बजे
8.	परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं/ ओ0एम0आर0 शीट के सील्ड बंडल सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराने की अंतिम तिथि	25.01.2022
9.	लिखित परीक्षा के उपरान्त उत्तर माला को Website पर जारी करने की तिथि	27.01.2022
10.	वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	01.02.2022
11.	प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसके निराकरण करने की तिथि	21.02.2022

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12.	आपत्ति पर विषय-विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार उतरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि	23.02.2022
13.	विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उतरमाला के अनुसार मूल्यांकन कराके परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	25.02.2022

अतएव कृपया उक्त परीक्षा कार्यक्रम/समय-सारिणी के अनुसार अग्रतर कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

धर्मेन्द्र मिश्र

अनु सचिव।

संख्या-15/2021/1103(1)/अरसठ-4-2021-9(16)/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव/विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
7. पुलिस आयुक्त, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर एवं गौतमबद्ध नगर, उ0प्र0।
8. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक/बेसिक) उत्तर प्रदेश।
13. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त परीक्षा कार्यक्रम/समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें।
14. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।